झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0म0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 933 /दिनांक– 19.5.2015

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम – 04, 2001) की धारा 10, झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम– 08, 2006), झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम– 07, 2008) सहपठित झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम– 16, 2011) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–
   (i) यह नियमावली झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 कहलायेगी ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
   (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो,
      (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001,
      (ख) "मंत्री" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति, इसमें राज्यमंत्री/उपमंत्री शामिल हैं,
      (ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा का सदस्य,
      (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
2. मंत्रियों का वेतन–
   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   (i) मुख्यमंत्री– रु0 60,000/–(साठ हजार) प्रतिमाह
   (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री–रु0 50,000/–(पचास हजार) प्रतिमाह
   इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. मंत्रियों का प्रभारी भत्ताः–
   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रभारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   (i) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री – रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–(दो हजार) मात्र राज्य के बाहर प्रतिदिन।
   (ii) हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री के साथ दो सहयात्री एवं मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री के साथ एक सहयात्री कीं सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

4. क्षेत्रीय भत्ता–

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 40,000/–(चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 30,000/–(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

5. सत्कार भत्ता–

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित **सत्कार भत्ता** प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 35,000/–(पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 30,000/–(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

6. चिकित्सीय भत्ताः–

मुख्यमंत्री एवं कोई मंत्री और उसके परिवार के सदस्य निम्न रूप में निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति,

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्त्ति।

7. मंत्रियों का आवास–

(i) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराये के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरणः– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ '' आवास'' के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विविध शक्ति और जल की आपूर्त्ति भी सम्मिलित है।

8. मंत्रियों को मोटर गाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना–

(i) राज्य सरकार समय–समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्त्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परन्तु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(ii) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्त्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरणः– इस उप कंडिका के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " स्टाफ कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन।

(iii) मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री को रु0 15,00,000 / – (पन्द्रह लाख) मात्र तक 4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मोटर कार अग्रिम अनुमान्य होगा।

9. नियमों की व्याख्या एवं संशोधन की शक्ति–

(i) राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्त्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा

कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किए गए पूर्ववर्त्ती कुछ भी की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया संचिका) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया संचिका) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच. ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया संचिका) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

19/5/15

(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।